

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

\*\*\*\*\*

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1996 को महामहिम राज्यपाल को शहरी स्थानीय निकायों संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन।

संविधान के 74 वें संशोधन के अनुच्छेद 243 म (परिशिष्ट II-01-01) के अनुसरण में गठित "मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग" ने राज्य की शहरी स्थानीय निकायों को अप्रैल, 1996 से मार्च, 2001 की पांच वर्षों की अवधि में दी जाने वाली राशि से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आयोग की अनुशंसाओं का सारांश प्रतिवेदन के प्रारंभ में ही "अनुशंसाएं-एक दृष्टि में" शीर्षक के अंतर्गत तीन पृष्ठों पर दर्शाया गया है।

क्र.	अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
1.	2.	3.
1.	<b>राज्य के राजस्व में से शहरी स्थानीय निकायों को देय करों का हिस्सा</b>	
1.1	<p>आयोग अनुशंसा करता है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को उनकी बुनियादी सेवाओं के सुसंपादन हेतु राज्य की संचित निधि से वर्ष 1996-97 में 407 करोड़ रुपये संविधान के अनुच्छेद 243 वाय (ए) (1) के परिपेक्ष्य में निर्गमित किये जाये।</p> <p>ग्लोबल शेअरिंग:</p> <p>उपरोक्त राशि ग्लोबल शेअरिंग अर्थात् संसाधनों की विश्वव्यापी भागीदारी के सिद्धान्त के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के शुद्ध कर एवं करेतर राजस्व का 8.669 प्रतिशत होगी। इसी प्रतिशत के आधार पर आगामी वर्षों में धनराशि प्रवाहित की जाये।</p>	<p>राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के ग्रामीण निकायों को राज्य के कर एवं करेतर राजस्व से 2.91 प्रतिशत राशि दी जा रही है, इसे यथावत रखते हुए, दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जिस अनुपात में राशि दी जा रही है उसी अनुपात (85:15) में राज्य के कर एवं करेतर राजस्व से नगरीय स्थानीय निकायों को भी राशि आगामी वित्तीय वर्ष से उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार नगरीय निकायों को पूर्व वर्ष की कर एवं करेतर राजस्व का 0.514 प्रतिशत भाग वर्ष 1998-99 से प्राप्त होगा।</p>
1.2	<p><b>अन्तर्विभाजन सूत्र:</b></p> <p>उपरोक्त राशि के जिलेवार अंतर्विभाजन हेतु 40 प्रतिशत अधिभार शहरी जनसंख्या, 35 प्रतिशत विक्रय कर के अंशदान, 15 प्रतिशत पिछड़ापन, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या (शहरी) एवं 10 प्रतिशत विकास की अधोसंरचना (शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग) को दिया जाये।</p>	<p>नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि उनके मध्य (अंतर विभाजन हेतु) जनसंख्या को आधार मानकर वितरित की जाए।</p>

क्र.	अनुशासा	राज्य शासन का निर्णय <span style="float: right;">Ann.</span>
1.	2.	3.
1.3	<p><u>ससमय भुगतान की सुनिश्चितता:-</u> शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि में कोई कटौती न की जाये। इसका भुगतान उनके वारह समान मासिक किश्तों में किया जाये तथा यह राशि जिलेवार अन्तर्विभाजन पत्रक के अनुसार प्रत्येक माह की पहली तारीख को संबंधित संस्थाओं के खाते में जमा की जाना सुनिश्चित किया जाये।</p>	<p>अनुशासा क्रमांक 1.1 के संदर्भ में दिये गये विभागीय अभिमत के परिपेक्ष्य में स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि वितरण आधार के अनुसार प्रत्येक माह की पहली तारीख को संबंधित संस्थाओं के खाते में जमा होने की स्थिति स्थानीय शासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।</p>
2. 2.1	<p><u>राज्य स्रोतों से प्रवर्धित अन्य राशि-</u> राज्य शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को वर्तमान में हस्तांतरित की जा रही यात्री कर समामि के अंतर्गत विशेष अनुदान तथा विभिन्न अभियानों के अधीन दत्त शुल्क, अर्थदण्ड एवं अन्य प्राप्ति का भुगतान यथावत किया जाता रहे।</p>	<p>सहमत</p>
3. 3.1	<p><u>प्रवेश कर का युक्तियुक्तकरण-</u> प्रवेश कर के आधार को व्यवहारिक व व्यापक बनाकर दरों का इस प्रकार युक्तियुक्तकरण किया जाये कि प्रवेश कर से वित्तीय वर्ष 1996-97 में व्युत्पन्न 400 करोड़ रुपये उपार्जित हो सके।</p>	<p>सहमत। प्रवेश कर के आधार को व्यवहारिक व व्यापक बनाकर दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है।</p>
4. 4.1	<p><u>सहायक अनुदान</u> <u>विशिष्ट अनुदान-दसवां वित्त आयोग</u> प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के पूंजीगत परिव्यय की परियोजनाओं के लिये समुचित वित्तीय सहायता की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रूपयों की अधिकृत अंशपूंजी से शहरी विकास वित्त निगम की स्थापना की जाये। दसवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशासानुसार आगामी चार वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि 61.74 करोड़ रुपये का उपयोग उपरोक्त निगम की अधिकृत अंशपूंजी में अंशदान के रूप में किया जाये।</p>	<p>केन्द्र शासन के दिशा निर्देश अनुसार यह राशि व्यय की जाना है। अतः मान्य करना संभव नहीं है। यदि स्थानीय निकाय अपने योगदान से अधिकृत अंशपूंजी दे सके तो स्थानीय शासन विभाग, शहरी विकास वित्त निगम की स्थापना के संबंध में विचार किया जा सकता है।</p>

अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
2.	3.
<p>4.2 <b>प्रोत्साहन अनुदान</b></p> <p>राज्य शासन अपने स्तर पर या किसी अशासकीय संस्था के माध्यम से प्रत्येक स्थानीय इकाई की राजस्व उगाही की क्षमता व उनके द्वारा किये गये प्रयासों का मूल्यांकन, ज्ञातव्य वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसरण में कर प्रोत्साहन अनुदान देने का निर्णय ले।</p>	<p>दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार दिये जाने वाले अनुदान के वितरण के लिये राजस्व उगाही को संकेतक मानने बाबत निर्णय स्थानीय शासन विभाग से परामर्श कर लिया जावेगा।</p>
<p>5. <b>अतिरिक्त संसाधन</b></p> <p>5.1 <b>शहरी अधोसंरचना विकास निधि</b></p> <p>स्थानीय निकायों की अधोसंरचना में निवेश के लिये शहरी अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाये। इसकी रूपरेखा और संगठन का निर्णय राज्य शासन अपने स्तर पर ले।</p>	<p>अनुशंसा क्रमांक 4.1 के अनुसार पूंजीगत परिव्यय हेतु निगम की स्थापना की बात कही गई है। अतः पृथक से निधि निर्मित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।</p>
<p>5.2 <b>उपयोग लागत एवं शुल्क:</b></p> <p>नगर निकायों के आय-व्यय के अंतर को संतुलित किये जा सकने के उद्देश्य से उपयोग लागत एवं शुल्क को उद्ग्रहित किया जाये।</p>	<p>सहमत</p>
<p>5.3 <b>कूड़े-करकट का निवर्तन</b></p> <p>कूड़ा-करकट संग्रहण एवं निवर्तन पर होने वाले व्यय में बचत की दृष्टि से शहरी स्थानीय निकाय कूड़ा-कचरा एवं औद्योगिक अवशिष्ट का निवर्तन निजी संस्थाओं के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धान्तों पर करायें।</p>	<p>सहमत</p>
<p>6. <b>बजटीय संकेत प्रयोजनीय</b></p> <p>6.1</p> <p>आयोग के अनुशंसानुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिये बजट में सृजित पृथक मांग संख्या 81,83 तथा 85 के अंतर्गत इन निकायों को राज्य शासन द्वारा प्रवाहित धनराशि को निम्नांकित प्रभागों में दर्शाया जाये:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- राज्य के संसाधनों से हिस्से के रूप में</li> <li>- सहायक अनुदान के रूप में</li> <li>- अभिकर्ता के रूप में</li> </ul>	<p>सहमत</p>

क्र.	अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
1.	2.	3.
7. 7.1	<u>कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसायें</u> <u>डाटा बैंक</u> शहरी स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय समीक्षा हेतु अद्यतन परिष्कृत आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये डाटा बैंक विकसित किया जाये। इस हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है।	राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं के अद्यतन आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य कराया जावेगा।
7.2	<u>आंतरिक अंकक्षण</u> शहरी स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक अंकक्षण की व्यवस्था को प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जाये	सहमत
7.3	<u>अनुश्रवण कक्ष</u> आयोग के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात अभिलेखों व अन्य साहित्य को सुरक्षित रखने तथा आंकड़ों को अद्यतन रखने हेतु आयोग सचिवालय को कुछ सीमित अमले के साथ अनुश्रवण कक्ष के रूप में निरंतर रखा जाये।	केन्द्रीय वित्त आयोग की समाप्ति के पश्चात वित्त मंत्रालय के एक कक्ष द्वारा आयोग के कार्य को देखा जाता है। इसी प्रकार राज्य के वित्त आयोग की समाप्ति के पश्चात आयोग के अभिलेखों व आंकड़ों को अद्यतन तथा सुरक्षित रखने का कार्य राज्य शासन के वित्त विभाग में पूर्व से ही स्थापित कक्ष द्वारा किया जाना चाहिये।

भोपाल, दिनांक

वित्त मंत्री